राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2488/2025

शिवलाल मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जिला सवाई माधोपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, सवाई माधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.04.2025

आदेश की दिनांक : 23.04.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.डी.मीणा, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक लेवल प्रथम के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रमजानीपुरा बामनवास, जिला सवाई माधोपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद पर दिनांक 06.06.2005 को राजस्थान पंचायती राज नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत हुई थी और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सेटअप परिवर्तन कर अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.06.2018 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बगडोली, जिला सवाई माधोपुर पदस्थापित किया

गया। उनका तर्क है कि बामनवास ब्लॉक में अध्यापक लेवल प्रथम के वर्तमान में कई पद रिक्त हैं और इसके संबंध में अपीलार्थी ने पदस्थापन हेतु अभ्यावेदन दिनांक 14.02.2025 को प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किया, परंतु उसका कोई निराकरण नहीं किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को बामनवास ब्लॉक में किसी एक रिक्त पद पर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापन हेतु निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में विचार करते हुए एवं अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/ नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष